कुड़ाराम – हनुमान 110/14

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18/10/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 110/2014

1 कुरड़ाराम पुत्र रामगोपाल
2 चुन्नीलाल पुत्र रामगोपाल
3 सन्तु पुत्र रामगोपाल अविवाहित मृतक
4 पप्पु पुत्र हीरालाल
5 हंसराज पुत्र हीरालाल
6 मुक्तिलाल पुत्र पूर्ण
7 बिड़दू पुत्र मूरली
समस्त जाति बलाई निवासीगण चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1/1 शांति पत्नी हणमान
1/2 श्रवणी पुत्री हणमान
1/3 प्रेम पुत्री हणमान
1/4 बबली पुत्री हणमान
1/5 भंवरलाल पुत्र हणमान
1/6 मनीराम पुत्र हणमान
1/7 बंशी पुत्र हणमान
1/8 छोटेलाल पुत्र हणमान
2/1 सुरेश पुत्र गिरधारी
2/2 मदनलाल पुत्र गिरधारी
2/3 रामरतन पुत्र गिरधारी
2/4 रामचन्द्र पुत्र गिरधारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 मोहन पुत्र चौथू
4 कुरड़ाराम पुत्र मांगू
5 रूड़मल पुत्र मांगू
6 भोमाराम पुत्र मांगू
7 बिड़दी पत्नी मांगू मृतक
7/1 चन्दा पुत्री बिड़दी पत्नी मांगू
समस्त जाति बलाई निवासीगण चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
8 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. जरिये प्रबन्धक
9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये प्रबंधक
10 मनोहरी पत्नी रामगोपाल
11/1 संतोष पुत्री रूड़मल
11/2 सुलोचना पुत्री रूड़मल
11/3 सुमन पुत्री रूडमल
11/4 कृष्ण कुमार पुत्र रूड़मल
11/5 कमलेश पुत्र रूड़मल
12 प्रेमचन्द पुत्र रामगोपाल
13 जीवा पुत्री रामगोपाल
14 भागौती पुत्री रामगोपाल
15 रामेश्वरी पुत्री रामगोपाल
16 माली पत्नी हीरालाल
17 कृष्णा पुत्री हीरालाल
18 संज्या पत्नी पूर्ण
19 मुन्नी पुत्री पूर्ण
20 सुनिता पुत्री पूर्ण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति बलाई निवासीगण चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.
विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर
जिला सीकर बउनवानी प्रकरण हनुमान बनाम कुरड़ाराम
दावा संख्या 545/90 निर्णय दिनांक 12.08.1991

उपस्थिति :

1. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री मामचन्द मूण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री गिरधारी लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री विकास जमालपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 545/1990 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.1991 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 379, 394, 395, 433 वाके ग्राम चौमू पूरोहितान का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीली धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रश्नगत कृषि भूमियों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व ही 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ता 19 के पूर्वज मूरली पुत्र परसा काबिज काश्त था तब प्रथम जमाबंदी बनी तब उसका कब्जे के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार में नाम दर्ज हो गया था तथा खसरा गिरदावरीयों में भी नाम दर्ज चला आ रहा था एवं अपने हिस्से का लगान भी अदा किया था, तथा 1/2 हिस्से का खातेदार श्योजी पुत्र सेढू था इनके अलावा उक्त भूमियों पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। प्रश्न भूमियों के 1/2 हिस्से के खातेदार श्योजी पुत्र सेढू जो कि अविवाहित था जिसकी मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 188 दिनांकित 17.04.1975 मांगू जो कि माधू का जायन्दा पुत्र था ने साज करके श्योजी की 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपने आप को श्योजी का पुत्र बताकर अर्थात मांगू पुत्र श्योजी के नाम से तस्दीक करवा लिया जब कि सम्वत 2017 की खसरा गिरदावरी में भी मांगू पुत्र माधू है कानून श्योजी पुत्र सेढू की विरासत का नामान्तकरण श्योजी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान सगे भाई चौथू व माधू के नाम से विरासत का नामान्तकरण होना चाहिए था। श्योजी का 1/2 हिस्से की भूमि पर ही कब्जा काश्त था। प्रश्नगत भूमियों में 1/4 हिस्से पर चौथू पुत्र सेढू एवं 1/4 हिस्से पर माधू पुत्र सेढू के नाम से खातेदारी होनी चाहिए थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने साज करके मूरली पुत्र परसा के एवं उनके मृत पुत्रों के संतु, प्रेमचन्द, चुन्नीलाल, जीवा, भागौती, रामेश्वरी, पुत्र एवं पुत्रियां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

रामगोपाल एंव पप्पू, हंसराज, एवं कृष्णा, पुत्रगण हीरालाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान होते हुये भी बिना सम्पूर्ण वारिसान को पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया है जो नोन जाईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार एवं विचारण न्यायालय को मुगालता देकर वाद प्रस्तुत किया गया एवं विचारण न्यायालय ने वारिसान की अनदेखी कर गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने तामिल कुनिन्दा से साज करके इन्कारी से तामिल करवायी है। रेस्पोडेन्ट ने जान बूझकर भूमि धारक राज्य सरकार को मामले का खुलासा होने से बचने के लिए आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने मात्र 1/2 हिस्से पर ही श्योजी पुत्र सेढू का कब्जा काश्त होना बताया है एवं उसकी मृत्यु होने पर चौथू पुत्र सेढू द्वारा काश्त करना बताया है इसलिए श्योजी की विरासत के आधार पर खुले नामान्तकरण को चुनौती देनी चाहिए थी एवं हणमान ने अपने बयानों में सेढू एवं श्योजी को एक ही बताया है जो कि सरासर गलत है जब कि सेढू श्योजी का पिता था लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय को मुगालता देकर गलत रूप से वाद वादी डिक्री करवा लिया एवं विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं कर गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने न तो वाद पत्र में तथा न ही बयानों में 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया है तथा नहीं ही अपीलान्ट के पूर्वज मूरली पुत्र परसा का नाम हजफ करने की सहायता चाही है। प्रश्नगत भूमियों में चौथू पुत्र श्योजी के नाम से कोई गिरदावरियां नहीं बनी है। बल्कि रेस्पोडेनट संख्या 1 पीडब्ल्यू 1 ने विचारण न्यायालय में सेढू एवं श्योजी को एक ही व्यक्ति बता दिया अर्थात अपने दादा एवं ताउ को एक ही व्यक्ति बताकर गलत बयान दिये है जब कि सेढू एवं श्योजी दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति है, इस तथ्य पर भी विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर गलत निर्णय पारित किया है। पूरण पुत्र मूरली की दिनांक 11.03.1990 को मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर तामिल कुनिन्दा से साज करके फर्जी तामील करवा कर दावा डिक्री करवाया है। अपीलांट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 12, 13, 14, 15, 17, 18,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

19, 20 जो कि मूरली पुत्र परसा के पूर्व मृत पुत्रों के पुत्र है जो कि प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनका भी उनकी खातेदारी की भूमि हक हिस्सा निहित है जिनको बिना पक्षकार बाये ही वाद प्रस्तुत कर किया जाकर डिकी हुआ है जो कि हितबद्ध पक्षकार है जिनको धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 96 सीपीसी का आवेदन पृथक से प्रस्तुत है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 395 व 433 वाके ग्राम चौमू पुरोहितान के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 12.08.1991 को वाद वादी डिकी किया गया था। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ दिनांक 27.10.2014 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 395 व 433 का विचाराधीन निर्णय के समय रिकार्ड अपीलांट के नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत अपील 23 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से प्रभावित पक्षकार होना भी प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 395 व 433 वाके ग्राम चौमू पुरोहितान के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 12.08.1991 को वाद वादी डिकी किया गया था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ दिनांक 27.10.2014 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 395 व 433 का विचाराधीन निर्णय के समय रिकार्ड अपीलांट के नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत अपील 23 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से प्रभावित पक्षकार होना भी प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर